तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/861/2004/नागौर** **रामदीन(मृतक) जरिए वारिसान श्रीमति घेवरी पत्नि रामदीन व अन्य बनाम उकाराम दत्तक पुत्र सरूपराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 9–1–2023

1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम कंकडाय में स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 98 रकबा 14 बीघा तथा खसरा संख्या 98/589 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार काश्तकार सरूपराम पुत्र हणुतराम लाऔलाद फौत होने पर उसके भाई आईदानराम के पक्ष में नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार, नागौर द्वारा उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 6–4–1992 आईदानराम पुत्र हणुताराम के नाम स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर के समक्ष अप्रार्थी द्वारा दत्तक पुत्र बताकर प्रस्तुत की गई जिसे उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 4–10–2000 से प्रकरण तहसीलदार, नागौर को प्रतिप्रेषित किया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2003 से अपील सारहीन होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/861/2004/नागौर** **रामदीन(मृतक) जरिए वारिसान श्रीमति घेवरी पत्नि रामदीन व अन्य बनाम उकाराम दत्तक पुत्र सरूपराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर सुनी गई । 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नामान्तरकरण संख्या 319 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक ने आईदान की विरासत को सही मानकर तहसीलदार नागौर को नामान्तरकरण प्रेतिप्रेषित किया गया था। तत्पश्चात नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना मानकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उसे बहाल रखने में त्रुटि कारित की है । अप्रार्थी उकाराराम को सरूपराम ने कभी गोद नहीं लिया न ही कोई पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित किया । मात्र फर्जी लिखावट के आधार पर अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर गोद पुत्र को नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में न तो किसी प्रकार से निर्णित किया जा सकता है न ही प्रतिप्रेषण का आदेश विधिसम्मत कहा जा सकता है।अतः निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर तहसीलदार नागौर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 6–4–1992 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(2) पृष्ठ 936, आर.आर.डी. 1992 पृष्ठ 227, आर.आर.टी. 2003(1) पृष्ठ 650 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलय न्याााायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि अप्रार्थी स्व0 सरूपराम का दत्तक पुत्र है । स्वरूपराम के फौत होने पर नामान्तरकरण उसके नाम तस्दीक होना चाहिए था किन्तु आईदान द्वारा गलत रूप से अपने नाम स्वीकृत कराने में त्रुटि कारित की है । इस संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों के द्वारा ही प्रार्थना–पत्र बाबत विरासत के नामान्तरकरण प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उसे बिना सुने ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/861/2004/नागौर** **रामदीन(मृतक) जरिए वारिसान श्रीमति घेवरी पत्नि रामदीन व अन्य बनाम उकाराम दत्तक पुत्र सरूपराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि कारित की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बहाल रखा गया है । अप्रार्थी द्वारा अपने हक की घोषणा बाबत इसी विवादित आराजीयात बाबत एक वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा सकता है। हक व अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद से प्राप्त किये जाने होते हैं। नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में अधिकारों की घोषणा संभव नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कंकडाय में स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 98 रकबा 14 बीघा तथा खसरा संख्या 98/589 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 50 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार काश्तकार सरूपराम पुत्र हणुतराम थे । सरूपराम के फौत होने पर उसके सगे बडे भाई आईदान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया। जबकि नामान्तरकरण संख्या 319 के अवलोकन पर प्रकट होता है कि मृतक हणतुराम के चार पुत्र थे आईदान, गंगाराम, स्वरूपराम, जिमबाई । लेकिन स्वरूपराम के फौत होने पर केवल मात्र एक भाई के पक्ष में ही विरासत का नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 6–4–92 स्वीकृत किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी उकाराम द्वारा प्रार्थी रामदीन व आईदान व रामनिवास वगैरह के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, नागौर के समक्ष इसी विवादित आराजीयात बाबत खातेदारी घोषणा का वाद दिनांक 24–3–1992 को ही प्रस्तुत किया जा चुका था एवं इसके साथ धारा 212 का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया था । इस कारण अप्रार्थी उकाराम द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर, नागौर के समक्ष एक अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गई जिसे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/861/2004/नागौर** **रामदीन(मृतक) जरिए वारिसान श्रीमति घेवरी पत्नि रामदीन व अन्य बनाम उकाराम दत्तक पुत्र सरूपराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उन्होंने पक्षकारों के सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधिवत जांच एवं परीक्षण करने के हेतु नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु दिनांक 4-10-2000 को तहसीलदार, नागौर को प्रतिप्रेषित किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह अवधारित है कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है तथा इससे अधिकार या स्तत्व प्रदान नहीं किए जा सकते हैं और वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही को लम्बित नहीं रखा जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के सामने सभी तथ्य व दस्तावेज पेश होने पर वैध स्थिति के आधार पर प्रकरण का विधिवत पुनः निस्तारण किया जाना था । उक्त विधिसम्मत आदेश को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर. बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि** ''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''। **इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –** Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue. **ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/861/2004/नागौर** **रामदीन(मृतक) जरिए वारिसान श्रीमति घेवरी पत्नि रामदीन व अन्य बनाम उकाराम दत्तक पुत्र सरूपराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया है कि– Second appeal -Concurrent findings of law and facts- In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings. अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक एवं विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	